विषय :- उत्तर पूर्व औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007

सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य रियायतों के पैकेज नामक 'उत्तर पूर्व औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007' का अनुसूचना किया है, जो 01.04.2007 से प्रभावी है जिसमें अन्यों के साथ-साथ लिमिटेड की भी संकल्पना है:

(i) व्याप्ति:

दिनांक 24.12.1997 को घोषित उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति (एनईआईपीपी) की परिधि में अरणावल प्रदेश, असम, गणपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य आते हैं। एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत सिक्किम को भी शामिल किया जाएगा। परिणामस्वरूप, सिक्किम राज्य के लिए का.जा. सं.14(2)/2002-एसपीएस, दिनांक 23.12.2002 द्वारा घोषित 'सिक्किम राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति एवं अन्य रियायतें' और इसके अंतर्गत स्कीम के अन्य स्कीम, एंथॉरी अधिसूचना सं.14(2)/2002-एसपीएस, दिनांक 24.12.2002 द्वारा अधिसूचित केंद्रीय पूर्ण निवेश आर्थिक सहायता स्कीम, 2002, केंद्रीय व्यापक आर्थिक सहायता स्कीम 2002 और केंद्रीय व्यापक बीमा स्कीम, 2002 दिनांक 01.04.2007 से बंद हो जाएगी।

(ii) अवधि:

सभी नई इकाईयों तथा वित्तवाणिज्य इकाईयों जिनमें व्यापक विस्तार होता है, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, और जो एनईआईआईपीपी, 2007 की अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करती हैं, वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रोट्साहन के लिए पाया होगा।

(iii) अवस्था की तद्नुसार:

सभी नई तथा मौजूदा औद्योगिक इकाईयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर प्रोट्साहन उपलब्ध होगा, उत्तर पूर्व क्षेत्र में वे चाहे जहां स्थित हों। परिणामस्वरूप, एनईआईपीपी, 1997 में 'ब्रस्ट' और 'नान-ब्रस्ट' के बीच किया गया विभेद 01.04.2007 से समाप्त हो जाएगा।
(iv) पर्याप्त विस्तार:

पर्याप्त विस्तार प्रोटेस्ट शक्ति/आदेशनिककरण और विविधकरण के विस्तार के प्रयोजनार्थ संपत्र और मशीनरी में साधारण पृथ्वी निवेश के मुख्य में 25% से कम वृद्धि न होने वाली इकाइयों को दिया जाएगा, जबकि एनईआईपी, 1997 में वह वृद्धि 33 1/2% निर्धारित थी।

(v) उत्पाद शुल्क से छूट:

पूर्वस्तः क्षेत्र में किए गए परिष्कृत उत्पादों पर 100% उत्पाद शुल्क की छूट जारी रहेगी, जैसा कि एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत अपलब्ध था। तथ्यावतः, उन मामलों में, जहां परिष्कृत उत्पादों (उन उत्पादों के अलावा जिन पर अन्यथा शुल्क से छूट है अथवा शून्य शुल्क दर के अध्ययन हैं) के उत्पादन में जा रहे कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर भुगतान किया गया सीईएनवीएटी परिष्कृत उत्पादों पर भुगतान उत्पाद शुल्कों से अधिक है, सीईएनवीएटी क्रेडिट के ऐसे अधिक प्रवाह को लूटाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(vi) आयकर से छूट:

एनईआईपी 2007 के अंतर्गत 100% आयकर छूट जारी रहेगी जैसा कि एनईआईपी, 1997 के तहत उपलब्ध था।

(vii) पृथ्वी निवेश पर आर्थिक सहायता:

पृथ्वी निवेश पर आर्थिक सहायता संयंत्र में निवेश के 15% तक और मशीनरी के लिए 30% तक बढ़ा दी जाएगी और इस दर पर आर्थिक सहायता के रूप: अनुमोदन हेतु नीमा प्रति इकाइ 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी, जबकि एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत 30 लाख रुपये उपलब्ध था। ऐसी आर्थिक सहायता निजी क्षेत्र, संयंत्र क्षेत्र, को-आधुनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ पूर्वस्तः क्षेत्र की सरकारी दूसरा स्पष्टतः इकाइयों के लिए लम्बू होगी। 1.5 करोड़ रुपये से अधिक किस्तु अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की पृथ्वी निवेश पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संचार, औद्योगिक नीति एवं संवैचारिक विभाग की अध्यक्ष में एक अधिकार प्राप्त समिति होगी जिसमें पूर्वस्तः क्षेत्र किस्तें विभाग, व्यापार विभाग के सचिव योजना आयोग के प्रतिनिधित्व संबंधित विषय का कार्य देख रहे भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिव तथा पूर्वस्तः राज्य के जहाँ दावा करने वाली इकाइयाँ अवस्थित है, संबंधित मुख्य सचिव/सचिव भी इसके सदस्य होगे।

ऐसे प्रस्ताव जो 30 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता के पात हैं उन्हें औद्योगिक नीति एवं संवैचारिक विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष उसके विचारार्थ और अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

(viii) ब्याज पर आर्थिक सहायता:
एनआईआईआईपी, 2007 के अंतर्गत कार्यशील पूंजी पर 3% की दर से व्याज पर आधिक सहायता उपलब्ध होगी जैसके एनआईआईपी, 1997 के तहत उपलब्ध थी।

(ii) व्यापक बीमा:

नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ मौजूद इकाइयों अपने पर्याप्त विस्तार पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।

(iii) नकारात्मक सूची:

निम्नलिखित उद्योग एनआईआईआईपी, 2007 के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होगे:

केंद्रीय उत्पाद प्रशिक्षण अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान जो तनबाकू तथा विनियमित तनबाकू प्रतिस्थापन से संबंधित है।

केंद्रीय उत्पाद प्रशिक्षण अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 तहत शामिल पान मसाला।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधीनस्थ सं.क्र.आ.705 (अ) दिनांक 02.09.1999 तथा क्र.आ.698 (अ) दिनांक 17.06.2003 द्वारा यथानिर्दिष्ट 20 माइक्रो फ्लेश से कम के प्लास्टिक कैप्रिक बैग्स।

केंद्रीय उत्पाद प्रशिक्षण अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम ऑयल और गैस रिफाइनरीज द्वारा उत्पादित सामान।

(iv) सेवा/अन्य क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

एनआईआईआईपी, 2007 के अंतर्गत प्रोत्साहन निम्नलिखित सेवा क्षेत्र के क्रिया कलापो/उद्योगों के लिए लागू होगे:

1. सेवा क्षेत्र: 

(i) होटल (दूसरा स्तर की क्षेिण से नीचे नहीं) रेस-वे सहित एडवेचर तथा भौज-मस्ती (टेलिज़न) स्टेशन;

(ii) न्यूनतम 25 बिस्तरों की शंभता वाले नरिंग होंगों के स्तर में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं तथा वुद्धवस्था सदन;

(iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान यथा होटल गैनेजिंगेट, कैटरिंग व फूड क्राफ्ट्स, उद्योगिता विकास, नरिंग तथा पैरा-मेडिकल, नागरिक उद्योग से समबन्ध प्रशिक्षण, फैशन, डिजाइन और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

आयकर अधिकारियों की दांव 10 के और 10 कक के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत अनेक कर रियायत पहले से ही आई टी सेवक का उपलब्ध है। तथापि, पृष्ठित क्षेत्र में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों
अपने आईटी से जुड़े विषय आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकास में बाधाओं का एक प्रमुख कारण पूर्वक्षय क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की अनुपस्थिता है। तदनुसार, आर्थिक अधिनियम की धारा 80 आईटी के अंतर्गत उठाए जाने वाले कर लाभ आई टी से जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों और आई टी हाईवेर इकाईयों पर वितरित किए जाएंगे।

(ii) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रोत्साहन:

जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग एन ई आईआईएपी, 2007 के अंतर्गत उसी तरह से लाभों को पाने का पात्र होगा जैसा अन्य उद्योगों पर लाभ है।

(iii) विद्युत उत्पादक उद्योगों के लिए प्रोत्साहन:

विद्युत उत्पादक संस्थाओं को आर्थिक अधिनियम की धारा 81 के उपर्योक्ता द्वारा यथाशक्ति प्रोत्साहन दिलाने रहेगे। इसके अलावा, रुपर्योजना और गैर-रुपर्योजना संस्थाओं पर आधारित 10 मन.व. तक विद्युत उत्पादक करने वाले संस्थाएं एन ई आईआईएपी, 2007 के अंतर्गत प्रयोग अनुपस्थित पूर्वक्षय निवेश पर आर्थिक सहायता, व्यापार पर आर्थिक सहायता तथा व्यापक बीमे के लिए पात्र होंगे।

(xii) एनईआईएपी, 2007 के कार्यान्वयन के लिए निगमनी तंत्र की स्थापना:

एन ई आईआईएपी, 2007 के कार्यान्वयन के लिए निगमनी तंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से, सतत औद्योगिक नीति एवं सर्वेक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें मंत्रालय/राजस्व विभाग पूर्वक्षय क्षेत्र विकास विभाग, बैंकिंग और बीमा विभाग के सचिव योजना आयोग के प्रतिनिधि सीएपी, एनईडीएफआई तथा प्रमुख पण्णथारी व पूर्वक्षय क्षेत्र के औद्योगिक संघ समाबेस्त होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक 'ओवरसाइट कमेटी' गठित की जाएगी जिसमें पूर्वक्षय राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्यों के रूप में शामिल होंगे।

(xiii) मूल्य वर्धन

पूर्वक्षय क्षेत्र में वास्तविक अर्थ में औद्योगिक क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनईआईएपी, 2007 के अंतर्गत उन दलों के लिए अनुरोध नहीं होंगे ना ही होंगे जो स्टोरेज, क्लीनिंग आपरेशन, पैकेजिंग, री-पैकेजिंग, लेबल लगाने आयुक्त पुनर्नवीन पूर्वक्षय मूल्य बढ़ाने आदि के दोनों परिसरों जैसे परीक्षेत्र क्रियाकलापों के संबंध में किए जाते हैं।

(xiv) परिवहन पर आर्थिक सहायता स्कीम

परिवहन पर आर्थिक सहायता स्कीम 31.3.2007 के पश्चात उन्हीं निवंधनों और शर्तों पर जारी रहेगी। तथापि, सततित्व लीकेज से दूसरी योग्य को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा पाप लागू करने के उद्देश्य से स्कीम का शीर्ष मूल्यांकन किया जाएगा।
(xv) नोटिस एजेंसी

उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास निगम, (एनईएफआई), एनईआईआईपी, 2007 के अंतर्गत आधिक सहायता के वितरण हेतु नोटिस एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

2. का.जा.स.ईए1/2/96-आईपीआई दिनांक 24.12.1997 (एनईआईपी, 1997) द्वारा घोषित "पूर्वी तर्क क्षेत्र में पूर्वी औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों" 01.04.2007 से प्रचालित होना बंद हो जाएगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिसने 31.3.2007 को अथवा उससे पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है उन्हें एनईआईपी के अंतर्गत नाम/प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

3. सरकार के पास सार्वजनिक हित में नीति के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित अधि
निम्नलिखित नियमों/अधिनियमों/अधिनियम आदि में संशोधन करें और इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए
आवश्यक अनुदेश जारी करें।

(एन.एन.प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाह के लिए:

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभाग तथा योजना आयोग।
(ii) अरुणाचल प्रदेश, असम, नगिशुर, मेघालय, मिजोरम, नागालंड, चिप्पुरा और सिक्किम के मुख्य सचिव।
(iii) अरुणाचल प्रदेश, असम, नगिशुर, मेघालय, मिजोरम, नागालंड, चिप्पुरा और सिक्किम राज्यों के सचिव (उद्योग)।
(iv) पूर्वी तर्क, औद्योगिक विकास विभाग निगम (एनईएफआई) गुवाहाटी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

(i) मंत्रिमंडल सचिवालय
(ii) प्रधान मंत्री कार्यालय